


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निंठा 2179 - 88216



प्रकाशचंद्र शुक्ला आ.राधेलाल शुक्ला

निवासी फौजदार पेट्रोल पंप के सामने

रसूलिया होशंगाबाद तह. व जिला

होशंगाबादआवेदक

बनाम

1. राकेश कुमार शुक्ला आ.राधेलाल शुक्ला

निवासी प्रताप नगर रसूलिया तहसील व

जिला होशंगाबाद.

2. विजय भारतेंदु शुक्ला आ.राधेलाल शुक्ला

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुरवाई

3. संदीप कुमार आ.राधेलाल शुक्ला

निवासी रेंज आफिस लुधावली रोड

फारेस्ट कालोनी शिवपुरीअनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिक आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वितीय अपील प्र.कं. 224/अपील वर्ष 2009-10 प्रकाशचंद्र बनाम राकेश कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.9.15 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर आदेश की जानकारी प्राप्त होने के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है ।

श्री ललितेश कुमार
उसके 2500
2861622
0371
02

23/3/16

अक्षय

2017 X 2017

XXXIV(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-खालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

R 217 P 116 प्रकरण क्रमांक..... जिला.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.1.2017	<p>आवेदक की ओर से कोई भी उपलब्ध नहीं। आवेदक द्वारा 1 एवं उपलब्ध। यह निगामी अपर आमुक्त के आदेश दिनांक 17.9.2015 के विरुद्ध उस अध्याय में दिनांक 28.6.2016 को 9 माह से भी आर्थिक विवरण से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के अधिनियम में विवरण का समाधान का कारण नहीं दिया गया है। अतः यह निगामी अवधि बाध्य प्रस्तुत होने से अग्रदाय की जाती है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>

अध्यक्ष